तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (ToFEI)

क्रियान्वयन निर्देशिका

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
झारखण्ड सरकार, एमडीआई भवन, रांची

सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशनल
डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स), झारखण्ड

The Union

तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान हेतु क्रियान्वयन निर्देशिका का निर्माण

The International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union)

के तकनीकी सहयोग से **Bloomberg Initiative Project** के तहत किया गया है।

तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (ToFEI)
के दिशा निर्देशों के अनुपालन हेतु
क्रियान्वयन निर्देशिका
जुलाई - 2022

विशेष जानकारी हेतु सम्पर्क करें:

राज्य तम्बाकू नियंत्रण कोषांग
झारखण्ड स्वास्थ्य मिशन
एम.सी.एच. भवन, आर.सी.एच कैम्पस,
नामकुम, रांची - 834010, झारखण्ड
ई-मेलः ntcpjharkhand@gmail.com

सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशनल
डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स)
गीता निवास, उपकार नगर, कडरू
रांची - 834002 (झारखण्ड)
ई-मेलः seedsjharkhand@gmail.com

जगरनाथ महतो
मंत्री
मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
तथा
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
झारखण्ड सरकार

कार्यालय : कमरा सं. 101, प्रथम तल,
एम.डी.आई. भवन, धुर्वा, राँची–834004
फोन : 0651–2400716
फैक्स : 0651–2400637
मोबाईल : +91–94313 24421
ई–मेल : hrdministercelljharkhand@gmail.com
ministerseld.excisejhr@gmail.com

संदेश

जन स्वास्थ्य के हित मे तम्बाकू–सेवन एवं उसके दुष्परिणामों को नियंत्रित करने के लिए सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा–2003) बनाया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ–साथ शिक्षा विभाग की भी अहम भूमिका है। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे (2019) द्वारा सम्पूर्ण विश्व में युवाओं द्वारा तम्बाकू–सेवन से संबंधित जो आंकड़ें सामने आए हैं, वह दर्शाता है कि भारत में 13–15 वर्ष के 8.5 प्रतिशत छात्रगण किसी न किसी प्रकार के तम्बाकू का उपयोग कर रहे हैं। झारखण्ड में इस आयु वर्ग के 5.1 प्रतिशत छात्रगण भी किसी न किसी प्रकार के तम्बाकू का सेवन कर रहे हैं जो चिंतनीय है।

राज्य सरकार तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कृत संकल्पित है। राज्य तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, झारखण्ड एवं सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स) के संयुक्त प्रयास से राज्य के सभी जिलों के शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाने हेतु जो पहल की जा रही है, उसमें शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को यह तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान **''क्रियान्वयन निर्देशिका''** तम्बाकू के दुष्प्रभावों के बारे में अधिक जागरूकता लाने में सहायक होगी।

शुभकामनाओं के साथ;

(जगरनाथ महतो)

आवासीय कार्यालय :
(1) अलारगो, पो.–भण्डारीदह, थाना–चन्द्रपुरा, जिला–बोकारो, झारखण्ड–829132
(2) आवास सं.– 164, 165, 166, 167, रशियन हॉस्टल, सेक्टर–2, पुराना विधानसभा परिसर, धुर्वा, राँची–834004
(3) आवास सं.–एफ टाइप, फॉरेस्ट बंगला–02, डोरण्डा, राँची–834002

बन्ना गुप्ता
मंत्री

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण
तथा आपदा प्रबंधन विभाग
नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची–834002
फोन : 0651–2491887 (का.)
फैक्स : 0651–2482493 (का.)
ई–मेल : hm.jharkhand@gmail.com

संदेश

तम्बाकू का सेवन किसी भी रूप में किया जाये, यह स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकारक है। तम्बाकू–सेवन से अनेक प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, जिसमें कैंसर सबसे प्रमुख है। वैश्विक वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण–2017 के अनुसार झारखण्ड में 38.9 प्रतिशत लोग किसी न किसी रूप में तम्बाकू का सेवन करते हैं, जिसमें अधिकतर लोग चबाने वाले तम्बाकू का सेवन अधिक करते हैं, जो मुँह के कैंसर का सबसे बड़ा कारण है।

बच्चों और अवयस्कों को तम्बाकू–सेवन की लत से बचाने के लिए हमें मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपनी आने वाली युवापीढ़ी को इसकी भयावहता से बचा सकें। इस हेतु तम्बाकू–सेवन के दुष्परिणामों के बारे में शिक्षण संस्थानों में जागरूकता बढ़ाने के साथ–साथ तंबाकू नियंत्रण कानून (कोटपा–2003) की विभिन्न धाराओं का सख्ती से अनुपालन कराना ज़रूरी है।

राज्य सरकार तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कृत संकल्पित है, जिसमें गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड एवं सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स) संयुक्त रूप से शिक्षण संस्थानों में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में प्रयत्नशील है।

आशा है, सीड्स द्वारा **ToFEI Guidelines** के अनुरूप विकसित **क्रियान्वयन निर्देशिका** शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त सुनिश्चित करवाने में उपयोगी सिद्ध होगी।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

(बन्ना गुप्ता)

अरूण कुमार सिंह, भा.प्र.से.
अपर मुख्य सचिव

Arun Kr. Singh I.A.S.
Additional Chief Secretary

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
नेपाल हाउस, डोरंडा, राँची–834002

Government of Jharkhand
Department of Health, Medical Education &
Family Welfare
Nepal House, Doranda, Ranchi - 834 002

शुभकामना संदेश

हर साल भारत में तम्बाकू–सेवन से होने वाली बीमारियों से लगभग 13 लाख लोगों की मौत हो रही है। यह देश की उत्पादकता और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। भारत में कैंसर से मरने वाले 100 रोगियों में से 40 रोगी तम्बाकू सेवन के कारण मरते हैं। लगभग 90 प्रतिशत मुँह का कैंसर तम्बाकू–सेवन करने वाले व्यक्तियों में होता है।

ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे (2019) के आंकड़ों के मुताबिक झारखण्ड में 13–15 वर्ष के 5.1 प्रतिशत छात्रगण किसी न किसी रूप में तम्बाकू का सेवन करते हैं। यह राज्य सरकार के लिए चिन्ता का विषय है।

तम्बाकू नियंत्रण के प्रयासों को गति देने के लिए राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) के प्रभावी अनुपालन हेतु कटिबद्ध है। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा 2003) के विभिन्न प्रावधानों को शिक्षण संस्थानों में लागू किया जाना है। कोटपा–2003 की धारा 6B के अनुसार सभी शैक्षणिक संस्थान एवं उसका परिसर तम्बाकू मुक्त घोषित है तथा इसके 100 गज के दायरे में किसी भी तरह का तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है।

राज्य तम्बाकू नियंत्रण कोषांग एवं सोशियो इकोनोमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स) के संयुक्त प्रयास से तैयार की गई क्रियान्वयन निर्देशिका प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त करने में मददगार साबित होगी।

इन जनहितकारी प्रयासों के लिये मेरी हार्दिक शुभकामनायें।

(अरूण कुमार सिंह)

Nepal House, Doranda, Ranchi - 834002 • **Tel :** +91 651 2491033 / 2261000
e-mail : hlthdept.fdi@gmail.com / arunsinghhealth@gmail.com

राजेश कुमार शर्मा, भा.प्र.से.
सरकार के सचिव

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
झारखण्ड सरकार

संदेश

तम्बाकू–सेवन की आदत जनस्वास्थ्य के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में वैश्विक स्तर पर उभर रहा है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि राज्य के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के परिसर एवं आस–पास तम्बाकू उत्पाद जैसे कि सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी इत्यादि की बिक्री की जाती है। इससे कम आयु के युवाओं एवं छात्रों में धूम्रपान एवं तम्बाकू–सेवन के व्यसन को बढ़ावा मिलता है। अवयस्क और युवा वर्ग, तम्बाकू पर आधारित व्यापार एवं उद्योगों के निशाने पर होते हैं, यह हमारे लिए एक गंभीर चिन्ता का विषय है।

अवयस्कों और युवाओं को तम्बाकू के व्यसन से बचाने के लिए राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा सभी शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है तथा शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज़ के दायरे में अवस्थित तम्बाकू उत्पाद के दुकानों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है।

इस दिशा में राज्य तंबाकू नियंत्रण कोषांग, झारखण्ड एवं सोशियो इकोनोमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी (सीड्स) के प्रयास से **"तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान क्रियान्वयन निर्देशिका"** बनाया गया है। आशा है, यह निर्देशिका राज्य एवं जिला स्तर पर तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के संचालन में अहम् भूमिका निभायेगी, साथ ही झारखण्ड में सभी जिलों के शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाने की दिशा में कारगर सिद्ध होगी।

शुभकामनाओं सहित;

(राजेश कुमार शर्मा)

गाउंड फ्लोर, एम.डी.आई. बिल्डिंग, धुर्वा, राँची, झारखण्ड-834004
ई-मेलः edu.jharkhand@gov.in, hrdjharkhand@gmail.com
फोनः 0651-2400797 (O)

The Union

A CENTURY OF LEADERSHIP IN LUNG HEALTH

Tobacco Control at The Union
United for a tobacco-free future

Dr Rana J Singh
Deputy Regional Director
The Union South East Asia
International Union Against Tuberculosis and Lung Disease
New Delhi- 110016.

MESSAGE

Tobacco in India kills more than 13.5 lakh people every year and most of them start using tobacco before the legal age of access to tobacco i.e. 18 years. Access and exposure to tobacco use before the age of 18 years is prohibited under the Cigarettes and Other Tobacco Products Act (COTPA) and the Juvenile Justice Act 2015. To implement the provisions of the law, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India formulated detailed guidelines to make all educational institutions in the country tobacco free.

While 38.9% of all adults either smoke tobacco and or use smokeless tobacco in the state of Jharkhand, the prevalence of tobacco use among youth (aged 13-15 years) is 5.1%. Young girls are not only more prone to tobacco use than boys in the state, they are initiating tobacco use at an earlier age as well. The sooner a person starts using tobacco, the stronger their addiction, and more likely they are to become a lifelong user, compared to those who start later.

Educational institutions are in a uniquely powerful position to play a major role in reducing the serious problem of tobacco use among youth as children spend about one third of their day in schools or institutions. A positive and tobacco free environment at educational institutions will help youth remain tobacco free and prevent their experimentation with tobacco addiction.

These comprehensive operational guidelines developed by SEEDS in collaboration with Departments of School Education & Literacy, Government of Jharkhand will help as a ready reckoner for the school and college staff to make their institutions tobacco free. These guidelines are an important step towards ensuring a tobacco-free environment in and around all educational institutions and therefore, creating a tobacco free future for the children of Jharkhand.

Dr Rana J Singh

प्रस्तावना

ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे (2019) द्वारा सम्पूर्ण विश्व में युवाओं द्वारा तम्बाकू–सेवन से संबंधित जो आँकड़े संकलित किये गये हैं, वह यह दर्शाता है कि भारत में 13–15 वर्ष के 8.5 प्रतिशत छात्रगण किसी न किसी प्रकार के तम्बाकू का उपयोग कर रहे हैं। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे (GATS–2) की रिपोर्ट भारत में वर्ष 2018 में जारी की गयी। इस सर्वेक्षण में पाया गया कि देश भर में तम्बाकू के उपयोग में 6 प्रतिशत की गिरावट हुई है। उक्त ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे (GATS–2) में 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में विशेषकर झारखण्ड राज्य में तम्बाकू–सेवन करने वालों में 11.1 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी है। यह झारखण्ड में तम्बाकू नियंत्रण प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है।

GATS–2 सर्वेक्षण में दिए गए संकेतों से यह स्पष्ट हुआ कि किशोरों और युवा अवयस्कों में अभी भी तम्बाकू का उपयोग बहुत अधिक है, जो राज्य सरकार के लिए अत्यधिक चिंता का विषय है। तम्बाकू उद्योग या व्यापार में जुड़ी संस्थायें तरह–तरह के हथकंडे अपनाकर खास तौर पर बच्चों और युवाओं को अपने उत्पादों के प्रति आकर्षित करते हैं। तम्बाकू उद्योग के इन हथकंडों से बच्चों एवं युवाओं को बचाने की जरूरत है। इस परिप्रेक्ष्य में तम्बाकू नियंत्रण के प्रयासों को निरंतर बढ़ाने और उसे बनाए रखने की आवश्यकता महसूस की गई है।

शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तम्बाकू मुक्त विद्यालय/शिक्षण संस्थान गाईडलाइन जारी किया गया था। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे (GATS–2) के रिपोर्ट के आधार पर उक्त गाईडलाइन की समीक्षा कर नई गाईडलाइन जारी करने की आवश्यकता महसूस की गई और भारत सरकार ने 2019 में तम्बाकू–मुक्त विद्यालय/शैक्षणिक संस्थानों के लिए पुनरीक्षित गाईडलाइन (ToFEI Guidelines) जारी किया।

ToFEI गाईडलाइन के प्रमुख उद्देश्य (i) शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों के बीच तम्बाकू के दुष्प्रभावों के बारे में अधिक जागरूकता, (ii) तम्बाकू–सेवन–परित्याग के लिए उपलब्ध विभिन्न उपायों के बारे में जानकारी, (iii) तम्बाकू उत्पादों की बिक्री और उपयोग के संबंध में स्थानीय प्रावधानों का बेहतर क्रियान्वयन, (iv) शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित वैधानिक चेतावनी का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा (v) किशोर एवं युवा वर्ग में तम्बाकू नियंत्रण की गतिविधियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

प्रस्तुत क्रियान्वयन निर्देशिका उपर्युक्त उद्देश्यों और उसके अपेक्षित परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए चरणबद्ध विभिन्न गतिविधियों से अवगत कराता है। इस दिशा–निर्देश (ToFEI Guidelines) को सभी शैक्षणिक संस्थान अर्थात् स्कूल, उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के लिए महाविद्यालय, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों में लागू किया जाना है।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के मार्गदर्शन में इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग डिजीज (दी यूनियन) के तकनीकी सहयोग से राज्य तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, झारखण्ड और सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स) द्वारा तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान (ToFEI) के दिशा–निर्देशों के अनुरूप इस क्रियान्वयन निर्देशिका को विकसित किया गया है।

आशा है कि शैक्षणिक संस्थानों को "तम्बाकू मुक्त" बनाने एवं घोषित करने में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश (ToFEI Guidelines) के अनुरूप तैयार की गई प्रस्तुत क्रियान्वयन निर्देशिका सम्बंधित प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों के लिए उपयोगी साधन (Tool) साबित होगी।

सुनील कुमार, भा.प्र.से.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा–सह नोडल पदाधिकारी
(तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम)
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

संदेश

प्रस्तावना

1. तम्बाकू नियंत्रण की आवश्यकता 1
2. तम्बाकू–सेवन का स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव 2
3. तम्बाकू नियंत्रण हेतु कानूनी प्रावधान 3–4
4. तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान हेतु की जाने वाली गतिविधियां 5–13
5. तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (ToFEI) के अनुपालन का स्व–मूल्यांकन 14

अनुलग्नक

I) ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे (GYTS-2019) झारखण्ड 15–18

II) कोटपा–2003 की धारा 6 के अनुपालन हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी 19

III) स्पॉट फाईन रसीद का प्रारूप 20

IV) शिक्षण संस्थानों में लिए जाने वाले शपथ–पत्र का प्रारूप 21

V) शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापक द्वारा दिया जाने वाला स्व–घोषणा प्रमाण–पत्र का प्रारूप 22

VI) सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित करने हेतु जारी निदेश–पत्र 23–24

तम्बाकू नियंत्रण की आवश्यकता

तम्बाकू सेवन देश की सबसे तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्या है। हर साल भारत में तम्बाकू–सेवन से होने वाली बिमारियों से 13 लाख लोगों की मौत हो रही है। यह देश की उत्पादकता और अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती है। लेकिन, संतोष की बात है कि तम्बाकू से होने वाली बीमारियों और मौतों को बहुत आसानी से रोका जा सकता है।

यूं तो तम्बाकू का उपयोग पूरी दुनियाँ के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन, आपको यह जान कर हैरानी होगी कि इसका कारोबार और उपयोग विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तम्बाकू उद्योग तरह–तरह के हथकंडे अपना कर खास तौर पर बच्चों और युवाओं को अपने उत्पादों के प्रति आकर्षित करते हैं। तम्बाकू उद्योग के इन हथकंडों से बच्चो एवं युवाओं को बचाने की जरूरत है।

तम्बाकू नियंत्रण के प्रयासों को गति देने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007–08 में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) की शुरूआत की गई थी। NTCP के अंतर्गत तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा 2003) के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के साथ ही तम्बाकू नियंत्रण हेतु अन्य गतिविधियों जैसे विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम, आईईसी गतिविधियां, सभी हितधारकों का क्षमतावर्धन एवं तम्बाकू विमुक्ति केंद्र के माध्यम से तम्बाकू सेवनकर्ताओं को परामर्श भी दिया जाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के द्वितीय ग्लोबल ऐडल्ट टोबैको सर्वे (2017) के अनुसार भारत में 28.6 प्रतिशत वयस्क 42.4 प्रतिशत पुरुष एवं 14.2 प्रतिशत महिला तम्बाकू का सेवन करते हैं। जबकि, झारखण्ड में 38.9 प्रतिशत वयस्क 59.7 प्रतिशत पुरुष एवं 17.0 प्रतिशत महिला तम्बाकू का सेवन करते हैं। जिसमें 35.4 प्रतिशत सुंघने या चबाने वाले तम्बाकू का सेवन करते हैं। प्रथम एवं द्वितीय ग्लोबल ऐडल्ट टोबैको सर्वे से प्राप्त आंकड़ो के अनुसार झारखण्ड में तम्बाकू सेवन करने वालों में 11.2 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, जो यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की राज्य सरकार द्वारा सफलतापूर्वक अनुपालन करवाने की कोशिश की जा रही है।

ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे (2019) द्वारा सम्पूर्ण विश्व में युवाओं द्वारा तम्बाकू सेवन से संबंधित जो आकड़ें संकलित किये गये हैं, वह यह दर्शाता है कि भारत में 13–15 वर्ष के 8.5 प्रतिशत छात्रगण किसी न किसी प्रकार के तम्बाकू का उपयोग कर रहे हैं। जबकि, ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे (2019) के आंकड़ों **(अनुलग्नक–I)** के मुताबिक झारखण्ड में इस आयु वर्ग के 5.1 प्रतिशत छात्रगण किसी न किसी प्रकार के तम्बाकू का सेवन कर रहे हैं।

भारत सरकार द्वारा तम्बाकू आपदा को नियंन्त्रित करने के लिए सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम (COTPA) 2003 बनाया गया है। तम्बाकू नियंत्रण कानून, सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम कोटपा, 2003 को लागू करने का मुख्य उद्देश्य कम उम्र के युवाओं एवं जन–समूह को तम्बाकू उत्पााद की पहुंच से रोकना, इनको तम्बाकू की हानिकारक लत से रोकना तथा इसके परिष्करण को सीमित करना और इसके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाना है।

प्रायः ऐसा देखा जाता है कि राज्य के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के परिसर एवं आस–पास तम्बाकू उत्पाद जैसे कि सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी इत्यादि की बिक्री की जाती है। इससे कम आयु के युवाओं एवं छात्रों में धूम्रपान एवं तम्बाकू सेवन की लत को बढ़ावा मिलता है। युवाओं को तम्बाकू उत्पाद की पहुंच से बचाने के लिए भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (COTPA 2003) की धारा–6 में यह प्रावधान है कि 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचा जा सकता है; साथ ही, किसी भी शैक्षणिक संस्थान के आसपास 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है।

तम्बाकू-सेवन का स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव

तम्बाकू शरीर के लगभग प्रत्येक अंग को क्षति पहुँचाता है, जिससे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तम्बाकू सेवन से सिर, गर्दन, गले और फेंफड़े के कैंसर के मामले सर्वाधिक होते हैं। सभी प्रकार के कैंसरों में तम्बाकू के सेवन से जुड़े कैंसरों का हिस्सा 10 प्रतिशत है जबकि, 90 प्रतिशत मुँह का कैंसर तम्बाकू के उपयोग से होते हैं। यह मुख, गला, फेंफड़े, कंठ, खाद्यनली, मूत्राशय, गुर्दा आदि स्थानों का कैंसर पैदा कर सकता है। इसके सेवन से हृदय और रक्त संबंधी बीमारियाँ, पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में प्रजनन क्षमता में कमी आना; बांझपन जैसी समस्याएँ पैदा होती हैं।

धूम्रपान नहीं करनेवाले पुरुषों की तुलना में धूम्रपान करनेवाले पुरुषों को फेफड़े का कैंसर होने की 23 गुना ज्यादा संभावना होती है। महिलाओं में 13 गुना ज्यादा संभावना होती है। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति की आयु धूम्रपान न करने वाले व्यक्ति की तुलना में 22 से 28 प्रतिशत घट जाती है, फेफड़े का कैंसर होने का खतरा 20 से 25 गुना अधिक रहता है, अचानक मौत होने का खतरा 3 गुना अधिक रहता है।

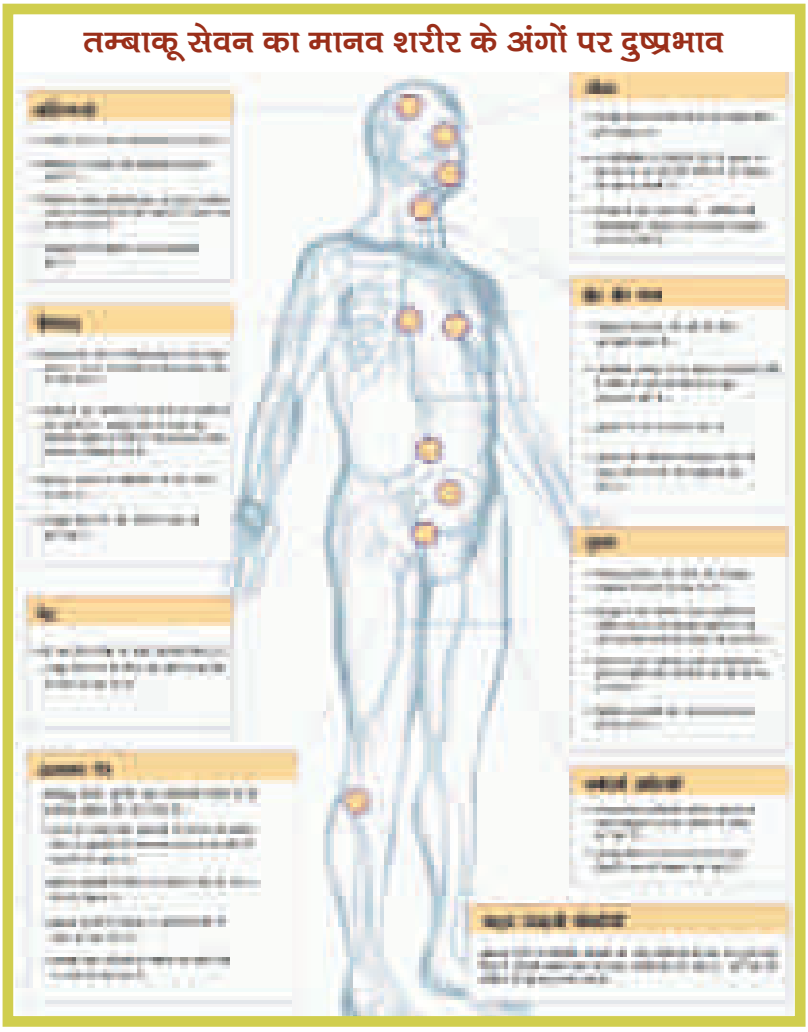

अप्रत्यक्ष या परोक्ष धूम्रपान भी हानिकारक है जिसके कारण बच्चों में श्वांस की बीमारी के लक्षण पाये गये हैं।

तम्बाकू–सेवन से व्यक्ति को पक्षाघात (लकवा) होने का लगभग 2 गुना खतरा होता है। टी.बी. भारत में अकाल मृत्यु का एक बड़ा कारण है, विशेषकर वैसे व्यक्तियों में जो धूम्रपान करते हैं। खास तौर पर, धूम्रपान का संबंध जटिल टी.बी. रोग के खतरा से है।

तम्बाकू सेवनकर्त्ताओं में रक्त धमनियों के संकुचित हो जाने से शरीर में रक्त का संचार कम हो जाता है। तम्बाकू के गैर–सेवनकर्त्ताओं की तुलना में सेवनकर्त्ताओं को रक्त परिसंचरण रोग होने का खतरा 10 गुना होता है।

तम्बाकू–सेवन से पुरुषों में नपुंसकता और कम शुक्राणुओं के बनने सहित पुरुषों और महिलाओं दोनों में यौन रोग और खराब प्रजनन संबंधी समस्यायें होती हैं।

तम्बाकू–सेवन प्रतिरक्षण तंत्र के कार्य को प्रभावित करता है और साँस तथा अन्य संक्रमणों के खतरे की संभावना होती है। तम्बाकू सेवन मधुमेह होने की संभावना को बढ़ाता है।

तम्बाकू नियंत्रण हेतु कानूनी प्रावधान

भारत सरकार के द्वारा तम्बाकू उपयोग में कमी लाने के लिए सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनिमयन) अधिनियम – कोटपा 2003 लागू किया गया। तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम – कोटपा, 2003 की मुख्यतः चार धाराओं का अनुपालन कराया जाना आवश्यक है। कोटपा–2003 की चारों धाराओं को विस्तार से निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है:–

धारा	उद्देश्य / तर्क	उल्लंघन	जुर्माना एवं कारावास
धारा 4	इस धारा को बनाए जाने के पीछे तर्क यह था कि अप्रत्यक्ष धूम्रपान (Indirect / Second Hand Smoking) को कैसे रोका जाये।	तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 4 के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है।	200 रुपये तक का जुर्माना
धारा 5	इस धारा को बनाए जाने के पीछे तर्क यह था कि तम्बाकू उत्पादों के प्रति लोगों, खास तौर पर बच्चों एवं युवाओं में आकर्षण को कम किया जा सके।	तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 5 के अनुसार किसी भी तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन, प्रोत्साहन एवं तम्बाकू कम्पनियों द्वारा किसी इवेन्ट का प्रायोजन अथवा स्पॉन्सरशिप करना प्रतिबंधित है।	प्रथम उल्लंघन पर 1000 रुपये तक का जुर्माना अथवा 02 वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों। द्वितीय बार अथवा अगले बार उल्लंघन करने पर 5000 रुपये तक जुर्माना अथवा 05 वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों।
धारा 6A	इस धारा को बनाए जाने के पीछे तर्क यह था कि अवयस्कों को तम्बाकू की लत से बचाया जा सके ताकि आने वाली पीढ़ी तम्बाकू के दुष्परिणामों से बच सकें।	तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 6A के अनुसार किसी भी अवयस्क या बच्चों को तम्बाकू उत्पाद बेचना या उनके द्वारा बिकवाना प्रतिबंधित है।	200 रुपये तक का जुर्माना
धारा 6B		तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 6B के अनुसार किसी भी शिक्षण संस्थाओं के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है।	200 रुपये तक का जुर्माना

धारा	उद्देश्य / तर्क	उल्लंघन	जुर्माना एवं कारावास
धारा 7	इस धारा को बनाए जाने के पीछे तर्क यह था कि अशिक्षित वर्ग के लोगों को जिन्हें पढ़ना–लिखना नहीं आता है, वे तम्बाकू के दुष्परिणामों को चित्र के माध्यम से देख एवं समझ सकें एवं सचेत हो सकें।	तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किसी भी तम्बाकू उत्पादों के पैकेट के मुख्य भागों पर 85 प्रतिशत हिस्से पर चित्रित स्वास्थ्य चेतावनी के बिना नहीं बेचा जा सकता है।	निर्माता अथवा उत्पादनकर्ता पर प्रथम बार उल्लंघन करने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना अथवा 02 वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों।

नोटः– बच्चों एवं अवयस्कों से संबंधित कोटपा की धारा 6 के उल्लंघन पर कार्रवाई करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारियों की सूची **अनुलग्नक II** पर उपलबध है। साथ ही, उल्लंघनकर्त्ताओं को जुर्माना किये जाने पर दिये जाने वाली रसीद का नमूना **अनुलग्नक III** पर दिया गया है।

झारखण्ड राज्य में तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम – कोटपा, 2003 की विभिन्न धाराओं का प्रभावकारी अनुपालन हेतु राज्य सरकार के द्वारा प्रतिबद्ध प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) के अंतर्गत कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति (STCCC) का गठन किया गया है। साथ ही, सभी जिलों में कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति (DTCCC) गठित है। राज्य सरकार द्वारा तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा – 2003) के उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई हेतु सभी जिलों में जिला, अनुमंडल तथा प्रखण्ड स्तर पर त्रिस्तरीय छापामार दस्ते का गठन किया गया है

तम्बाकू नियंत्रण हेतु अन्य कानूनी प्रावधान

किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 (धारा 77)

किशोर न्याय अधिनियम 2015 कि धारा 77 के अंतर्गत 16 वर्ष से कम के अवयस्क को तम्बाकू उत्पाद बेचने पर **7 साल की कैद** एवं **1 लाख रुपये जुर्माने** का प्रावधान है।
इस अधिनियम के अन्तर्गत धारा 107(1) के तहत बाल कल्याण पुलिस अधिकारी नामित किया गया है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986

जहरीला धुआँ हमारे पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है जिससे लोगों के अलावा बाहरी लोगों को भी इसका भार झेलना पड़ता है, अधिनियम में उल्लेखित है कि पर्यावरण के संरक्षण हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून 2006, खाद्य संरक्षण अधिनियम 2011–2.3.4

इस कानून के बिन्दु 2. 3. 4 में कहा है कि खाद्य उत्पादों में कोई भी ऐसा पदार्थ नही होना चाहिए जो स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक हो :– तम्बाकू और निकोटिन भी किसी खाद्य पदार्थ का हिस्सा नही बनाना चाहिए।
किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तम्बाकू या निकोटिन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्चन्यायालय के आदेश क्रमांक 1/10 दिनांक 23–9–16 के अनुसार पान मसाला एवं तम्बाकू के अलग–अलग पैकेटो को एक साथ स्टेपल कर या Joint pack में अथवा पान मसाला एवं तम्बाकू के एक साथ संयुक्त कर नहीं बेचा जा सकता है।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 41 एवं 42 के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 272 एवं 273 के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है।
राज्य खाद्य एवं औषध प्रशासन के उपनिरिक्षक और इनके उपर के अधिकारी जुर्माना कर सकते है।

ड्रग एड कास्मेटिक एक्ट 1940

इस कानून के अन्तर्गत 1992 में सभी डेन्टल उत्पादों में तम्बाकू का उपयोग प्रतिबन्धित किया गया है।

केबल टेलिविजन नेटवर्क एक्ट 2000

इसके अन्तर्गत केबल टेलिविजन, राज्य के इलेक्ट्रानिक मीडिया में तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन प्रतिबंधित है।

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 268, 269, 278

उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत भी तम्बाकू उपयोग को नियंत्रित किया जा सकता है।

तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान हेतु की जाने वाली गतिविधियाँ

गतिविधि – 1: शैक्षणिक संस्थान परिसर के अन्दर सभी प्रमुख स्थानों पर तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान एवं धूम्रपान रहित क्षेत्र के संकेत बोर्ड का प्रदर्शन।

शिक्षण संस्थानों के प्रवेश द्वार के बाहर चारदीवारी पर नीचे दिये गये संकेत बोर्ड के अनुरूप **"तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान"** का बोर्ड अथवा दीवार लेखन सहज अवलोकनीय स्थान पर दर्शाया जाए।

इसी प्रकार "विद्यालय परिसर में प्रत्येक मंजिल के विशिष्ट स्थान पर नीचे दिए गए संकेत बोर्ड के अनुरूप **"धूम्रपान निषेध"** का बोर्ड अथवा दीवार लेखन अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाना है।

- संकेत बोर्ड का आकार :– कम से कम 60 सेमी x 45 सेमी रहेगा। संकेत बोर्ड का रंगः– उपरोक्त नमूने के अनुसार रंग होगा।
- तम्बाकू मुक्त /शिक्षण संस्थान एवं धूम्रपान निषेध का संकेत बोर्ड, बनवाकर दीवार पर लगाया जा सकता है या इसका दीवार लेखन भी कराया जा सकता है।
- यदि संभव हो तो शैक्षणिक संस्थानों में संदेश को ऊपर दिये गये निर्देश की भाषा में या स्थानीय भाषा/बोली में संदेश लिखकर संकेत बोर्ड/दीवार पेंटिग के रूप में दिखा सकते हैं।
- संकेत बोर्ड/दीवार पेंटिग को परिसर में अन्दर एवं बाहर प्रमुख स्थानों जैसे चारदीवारी, मुख्य प्रवेश द्वार, कार्यालय के सूचना पट, और ऐसे स्थानों पर दिखाया जा सकता है, जहाँ संस्थान प्रबंधन को लगता है कि यह इच्छित संदेश को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जा सकता है।
- साथ ही, शिक्षण संस्थाओं में एक तम्बाकू नियंत्रण कमेटी का गठन किया जाना है। उक्त कमिटी में शिक्षक, छात्र, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं अभिभावक संघ के प्रतिनिधि इत्यादि शामिल होने चाहिए। शिक्षण संस्थानों में स्टाफ, सदस्य, शिक्षक अथवा विद्यार्थियों को **"टोबैको मॉनिटर"** के रूप में नामित किया जाना है। यदि विद्यार्थी को टोबैको मॉनिटर नामित किया जाता है तो यह ध्यान में रखा जाये कि वह कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत हो। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि मॉनिटर स्वयं तंबाकू का उपयोग करने वाला नहीं हो। विद्यालय परिसर में मुख्य स्थानों पर टोबैको मॉनिटर के नाम, पद व फोन नंबर अंकित किए जाए।

गतिविधि – 2 : शैक्षणिक संस्थान के सभी प्रवेश द्वार के बाहर चारदीवारी पर ''तम्बाकू मुक्त परिसर'' के संकेत बोर्ड का प्रदर्शन।

60 से.मी.

45 से.मी.

संकेत बोर्ड के लिए आवश्यक निर्देश:

- संकेत बोर्ड का आकार :– कम से कम 60 से.मी. X 45 से.मी. रहेगा
- संकेत बोर्ड का रंग:– उपरोक्त नमूने के अनुसार रंग होगा।
- तम्बाकू मुक्त क्षेत्र का संकेत, बोर्ड बनवाकर सभी प्रवेश द्वार के बाहर दीवार पर टांगा जा सकता है या दीवार लेखन किया जा सकता है।
- यदि संभव हो तो शैक्षिक संस्थानों में उक्त बोर्ड को ऊपर दिये गये निर्देश की भाषा में तथा स्थानीय भाषा/बोली में संदेश लिखकर संकेत बोर्ड/दीवार लेखन के रूप में दिखा सकते हैं।
- संकेत बोर्ड/दीवार पेंटिग को परिसर से बाहर प्रमुख स्थानों जैसे चारदीवारी, मुख्य प्रवेश द्वार और ऐसे स्थानों पर दिखाया जा सकता है, जहाँ प्रबंधन को लगता है कि यह इच्छित संदेश को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जा सकता है।

गतिविधि – 3: तम्बाकू उपयोग करने के प्रमाण उपलब्ध नहीं होना, जैसे कि सिगरेट/बीड़ी के टुकड़े अथवा गुटखा/तम्बाकू के पाउच, थूक के धब्बे आदि प्राप्त नहीं होना।

शैक्षणिक संस्थान परिसर के अन्दर सिगरेट/बीड़ी के जले हुए टुकड़े/तम्बाकू उत्पादों गुटखा का खाली रैपर/खैनी के पीक के दाग–धब्बे आदि फेंकने जैसे तम्बाकू उत्पादों का अवशेष के रूप में साक्ष्य नहीं मिलना चाहिए। उक्त आशय का संदेश परिसर में विभिन्न स्थानों पर चिपकाया जाना है। नीचे दिए गए बॉक्स के अनुरूप संदेश को परिसर में सूचना पट पर चिपकाएं:–

आवश्यक सूचना

तम्बाकू उत्पादों जैसे सिगरेट/बीड़ी बड्स या तम्बाकू उत्पादों के रैपर, खाली पैकेट्स आदि का फेंकना तथा तम्बाकू–सेवन कर थूकना पूर्णतः वर्जित है तथा यह एक दण्डनीय अपराध है।

यदि आप ऐसा कोई उल्लंघन देखते हैं; तो कृपया निम्नालिखित नामित व्यक्ति को सूचित करें–

मॉनिटर का नाम .....

पदनाम .....

सर्म्पक सूत्र/मोबाईल नं. .....

आवश्यक निर्देश:

- चूँकि परिसर में तम्बाकू उत्पादों का सेवन मना है। इसलिए यदि तम्बाकू उपयोग के बाद उसके अवशेष परिसर में मिलते हैं तो यह समझा जायेगा कि तम्बाकू का प्रयोग परिसर में हुआ है।
- परिसर को स्वच्छ रखें। यह हमेशा ध्यान रखें कि तम्बाकू उत्पादों के उपयोग के बाद उसके बचे हुए अवशेष परिसर में दिखाई नहीं देना चाहिए।
- यदि संभव हो तो शिक्षण संस्थान में संदेश को निर्देश की भाषा में तथा स्थानीय भाषा में संदेश लिखकर संकेत पट/संकेत बोर्ड/दीवार लेखन के रूप में दिखा सकते हैं।
- संकेत बोर्ड/दीवार लेखन को परिसर से बाहर प्रमुख स्थानों जैसे चारदीवारी, सभी प्रवेश द्वार, कार्यालय के सूचना पट, और ऐसे स्थानों पर दिखाया जा सकता है, जहाँ प्रबंधन को लगता है कि यह इच्छित संदेश को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जा सकता है।
- संकेतों पर तम्बाकू मॉनिटर के नाम, पदनाम, और मोबाइल संख्या लिखा होना चाहिए।

गतिविधि – 4: शिक्षण संस्थान परिसर में तम्बाकू के हानिकारक प्रभावों से सम्बन्धित पोस्टर एवं अन्य जागरूकता सामग्री का प्रदर्शन।

तम्बाकू शरीर के लगभग प्रत्येक अंग को क्षति पहुँचाता है, जिससे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तम्बाकू–सेवन के दुष्परिणामों की जानकारी पोस्टर, चार्टस आदि का बोर्ड, क्लीप बोर्ड या अन्य सुलभ साधन के माध्यम से शिक्षण संस्थान परिसर के अन्दर किसी भी दीवार या ऐसे स्थानों पर लगाया जा सकता है, जहाँ संस्थान–प्रबंधन को लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उक्त पोस्टर, चार्टस एवं जागरूकता सामग्री का अवलोकन कर सकते हैं। पोस्टर, चार्ट एवं जागरूकता सामग्री का नमूना नीचे दिया गया है।

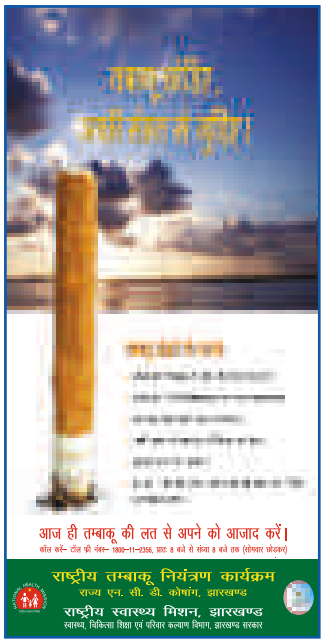

गतिविधि – 5: विगत छह (06) माह की अवधि में तम्बाकू नियंत्रण सम्बंधी कम से कम एक गतिविधि का आयोजन।

शिक्षण संस्था तंबाकू नियंत्रण हेतु अपने–अपने संस्थानों में निम्नांकित गतिविधियों का संचालन करेंगी :–

- प्रार्थना सभा में तंबाकू के उपयोग के विरुद्ध सामूहिक शपथ लेना। शपथ–पत्र का प्रारूप **अनुलग्नक–IV** पर उपलब्ध है।
- विभिन्न प्रतियोगिताएं यथा– पोस्टर / निबंध स्लोग्न / क्विज़ / वाद – विवाद का आयोजन करना तथा उक्त आधार पर बने पोस्टर और स्लोग्न को सहज अवलोकनीय स्थानों पर प्रदर्शित करना।
- तंबाकू नियंत्रण हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों / शिक्षकों / अन्य स्टाफ सदस्यों को प्रशंसा–पत्र प्रदान करना। प्रार्थना सभा तथा बाल सभाओं में स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों को आमंत्रित कर तंबाकू नियंत्रण हेतु लागू कानूनी प्रावधानों की जानकारी दिलवाना।

गतिविधि– 6: शिक्षण संस्थान परिसर में लगे साइनेज में तम्बाकू मॉनिटर का नाम, पदनाम और सम्पर्क सूत्र लिखा होना चाहिए।

प्रत्येक शिक्षण संस्थानों में स्टाफ सदस्य, शिक्षक अथवा विद्यार्थियों को **"टोबैको मॉनिटर"** के रूप में नामित किया जाना है। यदि किसी विद्यार्थी को टोबैको मॉनिटर नामित किए जाता है तो यह ध्यान में रखा जाये कि वह कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत हो। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि मॉनिटर स्वयं तंबाकू का सेवन नहीं करता हो। टोबैको मॉनिटर की जिम्मेवारी होगी कि विद्यालय परिसर में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का तम्बाकू सेवन नहीं करें साथ ही तम्बाकू नियंत्रण कानून का उल्लघंन नहीं हो। विद्यालय परिसर में मुख्य स्थानों पर निम्नांकित प्रारूप के अनुरूप टोबैको मॉनिटर के नाम, पद व फोन नंबर अंकित किया जाना है।

मॉनिटर का नाम, पदनाम और सम्पर्क सूत्र

मॉनिटर का नाम .....

पदनाम .....

सर्म्पक सूत्र/मोबाईल नं. .....

शिक्षण संस्थान का नाम .....

गतिविधि– 7: ''तम्बाकू उपयोग नहीं करने'' के नियम शिक्षण संस्थान की आचार संहिता में सम्मिलित करना।

संस्थान–प्रबंधन, शिक्षण संस्थान परिसर में किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को धूम्रपान/तंबाकू का उपयोग नहीं करने देगा; उक्त पर नजर रखने हेतु **नो टोबैको यूज आचार संहिता** तैयार करेगी तथा उक्त आचार संहिता के उल्लंघन पाये जाने पर उल्लंघनकर्त्ता के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।

शिक्षण संस्थान के अंदर कोई भी व्यक्ति यथा– विद्यार्थी, शिक्षक, अन्य कर्मचारी, निजी/सरकारी शिक्षण संस्थानों में अस्थाई रूप से कार्य हेतु आने वाले, बस ड्राईवर, अभिभावक तथा पीटीएम सदस्य विद्यालय परिसर में धूम्रपान करता हुआ अथवा तम्बाकू तथा तंबाकू उत्पादों का सेवन करता हुआ अथवा इस हेतु प्रेरित करता हुआ या तम्बाकू उत्पाद वितरित करता हुआ पाया जाता है, तो कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 के अंतर्गत दण्डनीय है। इस हेतु उक्त धारा के सेक्सन 21 के तहत 200 रुपये तक की राशि दण्ड स्वरूप वसूल की जा सकती है। उक्त प्रतिबन्ध का पुनः उल्लंघन करते हुए पाये जाने की अवस्था में सम्बन्धित विद्यार्थी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा सम्बन्धित कर्मी के विरूद्ध विभागीय प्रावधानानुसार सक्षम प्राधिकारी को तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा। अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा–2003) में विहित प्रावधानों के अनुरूप तत्काल निर्दिष्ट कार्रवाई सम्पादित किया जायेगा।

शिक्षण संस्थान प्रबंधन तम्बाकू की लत से ग्रसित व्यक्तियों को इस लत से मुक्त कराने हेतु उन्हें तम्बाकू विमुक्ति सेवा (Tobacco Cessation Service) का उपयोग लेने हेतु प्रेरित करेगा। उक्त सेवाओं के बारे में जानकारी स्थानीय सदर अस्पताल के तम्बाकू विमुक्ति केंद्र से प्राप्त की जा सकती है। यदि कोई विद्यार्थी/शिक्षक/स्टाफ सदस्य तंबाकू का सेवन करने वाले किसी व्यक्ति को इस लत से मुक्त करवाता है, तो उस व्यक्ति को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस (31 मई) या अन्य वार्षिक उत्सव में पारितोषिक प्रदान किया जायेगा।

शिक्षण संस्थान ऐसे किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लेगा, जिसमें तंबाकू उत्पाद बनाने वाली अथवा बिक्री करने वाला व्यापारिक संस्थान या कंपनी प्रायोजक अथवा सहभागी हो। विद्यालय में होने वाले किसी भी कार्यक्रम अथवा निर्माण कार्य हेतु तम्बाकू उद्योग या उससे सम्बन्धित व्यापारिक संस्थानों या कंपनियों को प्रायोजक नहीं बनाया जायेगा। शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी तम्बाकू उद्योग या उससे सम्बन्धित संस्थानों या कंपनियों द्वारा प्रायोजित किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति अथवा पुरस्कार ग्रहण नहीं करेंगे।

सभी शिक्षण संस्थान प्रबंधन अपने स्तर पर विस्तृत **'नो टोबैको यूज'** आचार संहिता तैयार करेगी। शिक्षण संस्थानों द्वारा तैयार किये जाने वाले 'नो टोबैको यूज' आचार संहिता का प्रारूप सुलभ संदर्भ हेतु नीचे बॉक्स में दिया गया है।

शिक्षण संस्थान हेतु नो टोबैको यूज आचार संहिता (नीतियों)का प्रारूप

- ✓ स्कूल की संपत्ति पर, स्कूल के वाहनों में, और स्कूल प्रायोजित समारोहों में तंबाकू का उपयोग सख्त वर्जित है।
- ✓ तंबाकू या तंबाकू सामग्री (लाइटर और माचिस सहित) रखना सख्त वर्जित है।
- ✓ स्कूल भवनों, स्कूल समारोहों, या स्कूल प्रकाशनों में किसी भी रूप में तंबाकू के विज्ञापन की अनुमति नहीं होगी।
- ✓ तंबाकू कंपनियों द्वारा स्कूल से संबंधित किसी भी कार्यक्रम का किसी भी रूप में समर्थन या प्रायोजन सख्त वर्जित है।
- ✓ स्कूल में या सार्वजनिक संपत्ति पर, पहने जाने वाले कपड़े और अन्य परिधान पर किसी भी रूप में तंबाकू, तंबाकू कंपनियों या तंबाकू के उपयोग के विज्ञापन, समर्थन या निहितार्थ प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। यह नीति छात्रों, कर्मचारियों, अभिभावकों और स्कूलों में आने वाले आगंतुकों पर लागू होती है।
- ✓ स्कूल की संपत्ति/परिसर के 100 गज के भीतर, तंबाकू की बिक्री, वितरण, स्थानांतरण सख्त वर्जित है। ।
- ✓ स्कूल के दिनों में कक्षा 8 से कक्षा 12 तक के सभी छात्रों को तंबाकू के सेवन से बचने के संबंध में उपयुक्त निर्देश प्राप्त करना आवश्यक है।
- ✓ तम्बाकू–सेवन करने वाले सभी छात्रों और कर्मचारियों को स्कूल के अंदर तंबाकू की लत छोड़ने हेतु स्कूल के अंदर सहायता प्रदान कराना आवश्यक है, ताकि उन्हें तंबाकू की लत छोड़ने में मदद मिल सके।

गतिविधि– 8: शिक्षण संस्थान के बाउंड्री वॉल/बाहरी चारदीवारी के 100 गज के दायरे का पीली लाईन के माध्यम से चिन्हीत करना।

शिक्षण संस्थानों के द्वारा पीली लाईन (Yellow Line) कैम्पेन चलाकर परिसर से 100 गज की दूरी का निर्धारण शिक्षण संस्थान परिसर के बाउंड्री वॉल/बाहरी चारदीवारी के बाहर सभी दिशाओं में किया जाना है। उक्त पीली लाईन रेखांकन करने में तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों या अन्य किसी के द्वारा व्यवधान उत्पन्न होने पर शिक्षण संस्थान के प्रबंधक द्वारा स्थानीय प्रशासन/थाना की सहायता प्राप्त की जा सकती है। **''शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू बिक्री निषेध का उल्लंघन कोटपा 2003 की धारा 6 (B) के अंतर्गत दंडनीय है''** का बोर्ड लगाया जाना है, जो नीचे दिये गये फोटो में दिखाया गया है। इसके उल्लंघन करने वालों से शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य 200 रुपये तक की राशि दण्ड स्वरुप वसूल करने हेतु प्राधिकृत हैं।

गतिविधि – 9: शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री की दुकान नहीं होना चाहिए।

शिक्षण संस्थान परिसर के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है। शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में कोई तम्बाकू उत्पाद बिक्री का कोई दुकान नहीं होना चाहिए। अगर 100 गज के दायरे में दुकान अवस्थित है तो वहाँ से उसे स्थानीय प्रशासन या ग्राम पंचायत/नगर निकाय की सहायता से हटवाया जाना है। शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य या उनके द्वारा नामित व्यक्ति उक्त दुकानदार से 200 रुपये तक की राशि दण्ड स्वरुप वसूल करने हेतु प्राधिकृत हैं।

इस पीली लाईन के अन्दर किसी भी तरह के तम्बाकू उत्पादों का सेवन एवं बिक्री प्रतिबंधित है

तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (ToFEI) दिशा–निर्देशों के अनुपालन का स्व–मूल्यांकन

तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (ToFEI) की गाईडलाईन के सभी प्रावधानों को लागू करने के उपरान्त सभी शिक्षण संस्थान के प्रधानाध्यापक संस्थान में अर्द्धवार्षिक आधार पर स्व–मूल्यांकन करेंगे, तथा उक्त स्व–मूल्यांकन के आधार पर शिक्षण संस्थान के प्रधानाध्यापक एवं मॉनिटर के द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र सम्बन्धित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करायेंगे। प्रमाण–पत्र का प्रारूप **अनुलग्नक–V** पर उपलब्ध है। स्व–घोषणा प्रमाण–पत्र के सत्यापन उपरान्त मूल्यांकन में 90 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली शिक्षण संस्थाएं ToFEI पुरस्कार योजना में सम्मिलित की जायेगी। उक्त शिक्षण संस्थाओं को राज्य सरकार के द्वारा विश्व तम्बाकू निषेध दिवस (31 मई) को प्रसस्ति–पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा।

तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान के लिए स्व–मूल्यांकन स्कोर कार्ड
Self-Evaluation Scorecard for Tobacco Free Educational Institution

शिक्षण संस्थान का नाम / Name of the Educational Institution :

मूल्यांकनकर्त्ता का नाम व पद / Name and Designation of Evaluator :

स्व–मूल्यांकन की तारीख / Date of Self Evaluation :

स्व–मूल्यांकन का स्कोर / Self Assessment Score :

क्रम सं. Sl. No.	मापदण्ड / Criteria	महत्व विन्दु / Weightage Points	संस्थान के प्राप्तांक Scored Points by the Institue
1.	शिक्षण संस्थान परिसर के अन्दर प्रमुख स्थानों पर ''तम्बाकू मुक्त परिसर'' के बोर्ड प्रदर्शित किया गया है। Display of 'Tobacco Free Area' Signage inside the premise of Educational Institute at all prominent place (s).	अनिवार्य (10) Mandatory (10)	
	नाम / पदनाम / सम्पर्क सूत्र सम्मलित करते हुए साइनेज का प्रदर्शन किया गया है। The name / designation / contact number are mentioned / updated in the signage	अनिवार्य (10) Mandatory (10)	
2.	शिक्षण संस्थान के प्रवेश द्वार / बाउंड्री वाल पर ''तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान'' का बोर्ड प्रदर्शित किया गया है। Display of "Tobacco Free Education Institution" signage at entrance/ boundary wall of Educational Institute.	अनिवार्य (10) Mandatory (10)	
	नाम / पदनाम / सम्पर्क सूत्र सम्मलित करते हुए साइनेज का प्रदर्शन किया गया है। The name/designation/contact numbers are mentioned in the signage.	अनिवार्य (10) Mandatory (10)	
3.	तम्बाकू उपयोग करने के प्रमाण नहीं होना जैसे कि सिगरेट / बीड़ी के टुकड़े अथवा गुटखा / तम्बाकू के पाउच, थूक के धब्बे का नहीं पाया जाना। Cigarette / Beedi butts or discarded Gutka / Pan Masala / Tobacco pouches, spitting spots not found inside the premises.	अनिवार्य (10) Mandatory (10)	
4.	परिसर में तम्बाकू के हानिकारक प्रभावों के सम्बंध में पोस्टर व अन्य जागरूकता सामग्री प्रदर्शन किया गया है। Poster or other awareness materials on harms of tobacco displayed in the premise.	9	
5.	विगत 6 महिने में तम्बाकू नियंत्रण सम्बंधी कम से कम एक गतिविधि का आयोजन। Organisation of at least one tobacco control activity during last 6 months.	9	
6.	सइनेज में तम्बाकू मॉनिटर का नाम, पदनाम और सम्पर्क सूत्र लिखा होना चाहिए। Designation of Tobacco Monitors and their names, designations, and contact number are mentioned on the signages	9	
7.	''तम्बाकू उपयोग न करने के नो टोबैको यूज आचार संहिता (नीतियों) शिक्षण संस्थान की आचार संहिता में सम्मिलित है। Inclusion of "No Tobacco Use" policy in the Educational Institution's code of conduct.	9	
8.	शिक्षण संस्थान के बाउंड्री वॉल के बाहरी भाग में 100 गज के दायरे (पीली लाईन) का चिन्हीकरण किया गया है। Marking of Yellow Line within 100 yards area from the outer limit of boundary wall / fence of the Educational Institution.	7	
9.	शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की दुकान नहीं होना। No shops selling tobacco products within100 yards of the Educational Institute.	7	

अनुलग्नक

GYTS-4 | GLOBAL YOUTH TOBACCO SURVEY

FACT SHEET

JHARKHAND 2019

GYTS Objectives

The Global Youth Tobacco Survey (GYTS), a component of the Global Tobacco Surveillance System (GTSS), is a global standard for systematically monitoring youth tobacco use (smoking and smokeless) and tracking key tobacco control indicators.

GYTS is a cross-sectional, nationally representative school-based survey of students in grades associated with ages 13 to 15 years. GYTS uses a standard core questionnaire, sample design, and data collection protocol. It assists countries in fulfilling their obligations under the World Health Organization (WHO) Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) to generate comparable data within and across countries. WHO has developed MPOWER, a technical package of selected demand reduction measures contained in the WHO FCTC:

Monitor tobacco use & prevention policies

Protect people from tobacco smoke

Offer help to quit tobacco use

Warn about the dangers of tobacco

Enforce bans on tobacco advertising, promotion, & sponsorship

Raise taxes on tobacco

GYTS Methodology

GYTS uses a global standardized methodology that includes a two-stage sample design with schools selected with a probability proportional to enrollment size. The classes within selected schools are chosen randomly and all students in selected classes are eligible to participate in the survey. The survey uses a standard core questionnaire with a set of optional questions that countries can adapt to measure and track key tobacco control indicators. The questionnaire covers the following topics: tobacco use (smoking and smokeless), cessation, secondhand smoke (SHS), pro- and anti-tobacco media messages and advertisements, access to and availability of tobacco products, and knowledge and attitudes regarding tobacco use. The questionnaire is self-administered; using paper sheets, it is anonymous to ensure confidentiality.

In Jharkhand, the GYTS-4 was conducted in 2019 as part of national survey by the International Institute for Population Sciences (IIPS) under the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW). The overall response rate for Jharkhand was 100.0%. A total of 4,010 students from 32 schools (Public-14; Private-16) participated in the survey. Of which, 3,339 students aged 13-15 years were considered for reporting.

GYTS-4 Highlights

TOBACCO USE

- 5.1% of students – 7.0% of boys and 3.3% of girls – currently used any tobacco products.
- 3.6% of students – 5.2% of boys and 2.2% of girls – currently smoked tobacco.
- 1.1% of students – 1.3% of boys and .8% of girls – currently smoked cigarette.
- 1.7% of students – 2.3% of boys and 1.2% of girls – currently smoked *bidi*.
- 7.5% of students – 6.0% of boys and 8.9% of girls – currently used smokeless tobacco.

CESSATION

- 17% of students – 15% of boys and 21% of girls – tried to quit smoking in the past 12 months.
- 22% of current smokers wanted to quit smoking now.
- 23% of current users of smokeless tobacco tried to quit using in past 12 months.
- 21% of current users of smokeless tobacco wanted to quit now.

SECONDHAND SMOKE

- 6.8% of students were exposed to tobacco smoke at home.
- 18% of students were exposed to tobacco smoke inside enclosed public places.

ACCESS & AVAILABILITY

- 66% of current cigarette smokers and 46% of current *bidi* smokers bought cigarettes/*bidis* from a store, *paan* shop, street vendor or vending machine.
- Among the current smokers who bought cigarette/*bidi*, 25% of cigarette smokers and 21% of *bidi* smokers were not refused because of their age.

MEDIA

- 48% of students noticed anti-tobacco messages in the mass media.
- 15% of students noticed tobacco advertisements or promotions when visiting points of sale.

KNOWLEDGE & ATTITUDES

- 62% of students thought other people's cigarette smoking is harmful to them.
- 49% of students favoured ban on smoking inside enclosed public places.

SCHOOL POLICY

- 91% of school heads – 89% in rural and 100% in urban schools – were aware of COTPA, 2003.
- 91% of school heads – 89% in rural and 100% in urban schools – were aware of the policy to display 'tobacco-free school' board.

सत्यमेव जयते

Ministry of Health and Family Welfare
New Delhi – 110011
(Government of India)

International Institute for Population Sciences
Mumbai - 400088
(Deemed University)

GYTS-4 | GLOBAL YOUTH TOBACCO SURVEY

FACT SHEET

JHARKHAND 2019

TOBACCO USE	Boys (%)	Girls (%)	Rural (%)	Urban (%)	Total (%)
Any tobacco use[1] *(smoked and/or smokeless)*					
a. Ever tobacco users[2]	21.3	27.6	27.0	10.6	24.6
b. Current tobacco users[3]	7.0	3.3	5.6	2.4	5.1
Smoking tobacco[4]					
a. Ever tobacco smokers	10.5	7.7	9.8	4.3	9.0
b. Current tobacco smokers	5.2	2.2	3.9	2.1	3.6
Cigarette					
a. Ever cigarette users	4.7	2.8	3.9	2.4	3.7
b. Current cigarette users	1.3	0.8	1.1	0.8	1.1
Bidi					
a. Ever *bidi* users	5.2	3.8	5.0	1.5	4.5
b. Current *bidi* users	2.3	1.2	1.8	1.1	1.7
Smokeless tobacco					
a. Ever smokeless tobacco users	16.2	23.8	22.2	7.9	20.1
b. Current smokeless tobacco users	4.1	1.5	3.1	0.6	2.7
c. Ever users of *paan* masala[5] together with tobacco	6.0	8.9	8.5	1.5	7.5
Susceptibility					
a. Never cigarette smokers susceptible to cigarette use in future[6]	4.9	7.4	6.5	4.5	6.2
Median age of initiation (in years)					
a. Cigarette	11.7	9.0	9.8	12.0	10.4
b. Bidi	11.5	7.2	10.2	9.5	10.0
c. Smokeless tobacco	10.2	<7	7.2	9.3	7.4
ELECTRONIC CIGARETTE[7]					
a. Awareness about e-cigarette	30.2	32.4	31.5	30.9	31.4
b. Ever e-cigarette use	4.2	3.1	3.7	2.6	3.6
CESSATION					
Smoking tobacco					
a. Ever tobacco smokers who quit in last 12 months[8]	14.7	6.7	11.2	10.1	11.1
b. Current tobacco smokers who tried to quit smoking in the past 12 months[9]	15.3	20.9	15.9	29.3	17.1
c. Current tobacco smokers who wanted to quit smoking now[9]	19.6	26.1	19.9	41.0	21.7
Smokeless tobacco					
a. Ever smokeless tobacco users who quit in last 12 months[8]	10.7	3.5	6.3	6.5	6.3
b. Current smokeless tobacco users who tried to quit tobacco in the past 12 months[9]	30.4	4.7	23.6	6.3	23.0
c. Current smokeless tobacco users who wanted to quit tobacco now[9]	24.4	10.8	20.9	8.3	20.5
SECONDHAND SMOKE (SHS)[10]					
a. Exposure to tobacco smoke at home/public place	19.4	26.6	21.8	31.1	23.2
b. Exposure to tobacco smoke at home	4.5	8.8	7.4	3.1	6.8
c. Exposure to tobacco smoke inside any enclosed public places[11]	14.9	19.9	17.3	18.5	17.5
d. Exposure to tobacco smoke at any outdoor public places[12]	16.3	22.9	18.5	26.8	19.7
e. Students who saw anyone smoking inside the school building or outside school property	17.4	25.9	21.6	23.4	21.8

Notes: 1. Use of any form of tobacco, i.e. smoking, smokeless, and any other form of tobacco products; 2. Ever tried or experimented any form of tobacco even once; 3. Use of any form of tobacco in past 30 days; 4. Includes other form of smoking products in addition to cigarette and *bidi* such as *hookah*, cigars, cheroots, cigarillos, water pipe, *chillum*, *chutta*, *dhumti*; 5. Use of *paan* masala together with tobacco was asked directly as one of the categories of smokeless tobacco; 6. Susceptibility to future cigarette use includes those who answered "yes", or "maybe" to using tobacco products if one of their best friends offered it to them; 7. E-cigarette is part of Electronic Nicotine Delivery System (ENDS) and includes like devices and other emerging products; 8. Stopped using tobacco in past 12 months; 9. Refers to current tobacco users only; 10. Secondhand smoking or passive smoking refers to exposure to other people's smoking in past 7 days; 11. Refers to schools, hostels, shops, restaurants, movie theatres, public conveyances, gyms, sports arenas, airports, auditorium, hospital building, railway waiting room, public toilets, public offices, educational institutions, libraries, etc.; 12. Refers to playgrounds, sidewalks, entrances to buildings, parks, beaches, bus stops, market places, etc.; #. the value 0.0 represent prevalence of less than 0.05.

GYTS-4 | GLOBAL YOUTH TOBACCO SURVEY

FACT SHEET

JHARKHAND 2019

ACCESS AND AVAILABILITY	Boys (%)	Girls (%)	Rural (%)	Urban (%)	Total (%)
Major source of tobacco products[13]					
a. Cigarette: Store	35.9	15.0	24.3	79.6	28.7
b. Cigarette: *Paan* shop	25.7	33.3	30.3	5.2	28.3
c. *Bidi*: *Paan* shop	36.4	30.7	37.2	0.0	34.2
d. *Bidi*: Store	28.9	26.7	26.4	45.9	28.0
e. Smokeless tobacco: Store	33.7	49.0	37.9	24.2	37.5
f. Smokeless tobacco: Street vendor	36.7	0.0	28.6	0.0	27.7
g. Current cigarette smokers who bought cigarettes from a store, *paan* shop, street vendor, or vending machine	70.0	60.9	67.7	55.3	66.4
h. Current *bidi* smokers who bought *bidi* from a store, *paan* shop or street vendor	48.0	43.6	48.6	24.5	46.4
Refused sale because of age in past 30 days					
a. Refused sale of cigarette	69.9	82.2	71.6	94.5	74.8
b. Refused sale of me *bidi*	91.6	64.6	85.8	4.6	79.5
c. Refused sale of smokeless tobacco	67.8	70.8	67.8	87.6	68.4
Bought cigarette/*bidi* as individual sticks in past 30 days					
a. Cigarette	33.2	35.5	32.3	53.6	34.0
b. Bidi	22.4	16.2	18.1	41.5	20.0
MEDIA AND ANTI-TOBACCO MESSAGES					
Anti-tobacco advertising in past 30 days					
a. Students who noticed anti-tobacco messages anywhere[14]	61.1	66.3	60.4	83.9	63.8
b. Students who noticed anti-tobacco messages in the mass media[15]	43.5	52.1	44.6	68.1	48.0
c. Students who noticed anti-tobacco messages at sporting, fairs, concerts, community events or social gatherings[16]	29.5	36.9	31.5	44.6	33.3
d. Students who noticed health warnings on any tobacco product/cigarette packages	21.7	18.2	19.6	21.1	19.9
Tobacco advertising in past 30 days					
a. Students who saw tobacco advertisements anywhere[17]	41.7	39.4	37.3	59.3	40.5
b. Students who saw anyone using tobacco on mass media[15]	30.7	29.4	26.1	52.9	30.0
c. Students who noticed cigarette advertisements/promotions at point of sale[18]	16.1	14.3	15.0	16.2	15.2
Anti-tobacco message					
a. Students who were taught in class about harmful effects of tobacco use during past 12 months	36.1	36.1	34.6	45.4	36.1
KNOWLEDGE AND ATTITUDE					
a. Students who thought it is difficult to quit once someone starts smoking tobacco	20.1	20.9	17.3	39.4	20.5
b. Students who thought other people's tobacco smoking is harmful to them	60.4	63.8	58.2	85.5	62.1
c. Students who favoured ban on smoking inside enclosed public places	49.5	49.4	44.0	81.5	49.4
d. Students who favoured ban on smoking at outdoor public places	54.5	50.3	47.3	81.6	52.3
SCHOOL POLICY ON TOBACCO USE[19]					
a. School heads aware of COTPA[20], 2003			88.5	100.0	90.6
b. Schools authorized by the state government o collect fine for violation under Section-6 of the COTPA, 2003			42.3	50.0	43.8
c. Schools followed 'tobacco-free school' guidelines			96.2	83.3	93.8
d. Schools aware of the policy for displaying 'tobacco-free school' board			88.5	100.0	90.6

Notes: 13. Refers to source of obtaining tobacco products by current users at the time of last use in past 30 days and the two major sources are given here, therefore, these two figures may not add upto 100% as there are other sources; 14. Includes any form of mass media, fairs, concerts, sporting, community events or social gatherings, tobacco products packages and taught in class; 15. Mass media includes television, radio, internet, billboards, posters, newspapers, magazines, movies, etc.; 16. Social events include sports events, fairs, concerts, community events, social gatherings etc.; 17. Includes any form of media or point of sale; 18. Point of Sale includes any stores, grocery shops, *paan* shops etc.; 19. Unit of analysis is the school (unweighted); 20. Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003.

GYTS-4 | GLOBAL YOUTH TOBACCO SURVEY

FACT SHEET

JHARKHAND 2019

Places of usual smoking (%)

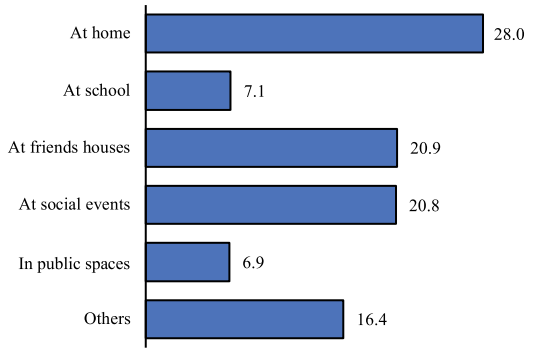

Reasons for quitting tobacco (%)

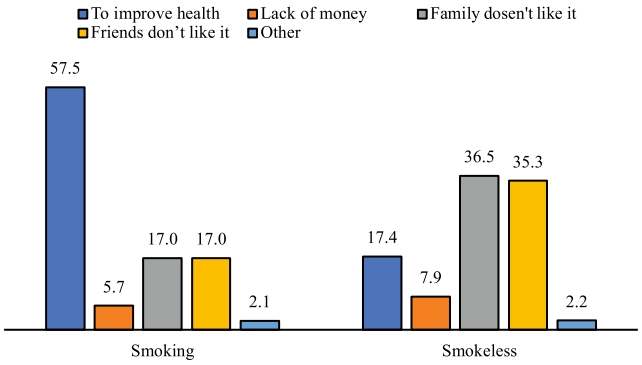

Ever used or ever heard about Tobacco Quitline (%)

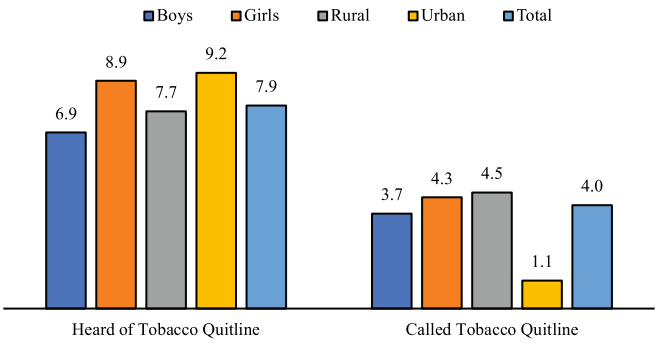

For more information please contact: International Institute for Population Sciences (IIPS), B.S. Devshi Marg (Govandi Station Road), Deonar, Mumbai – 400088.
Visit our website: http://www.iipsindia.ac.in Tel.: +91 22 4237 2400; Fax: +91 22 2556 3257 or Email: director@iipsindia.ac.in;

अनुलग्नक–II

कोटपा 2003 की धारा 6 के प्रवर्त्तन हेतु प्राधिकृत अधिकारी

उक्त कानून के उल्लंघनकर्ताओं पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

निम्नलिखित पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा–2003) की धारा 6A और 6B के उल्लंघनकर्त्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत हैं।

कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति-

क्र.	विभाग/कार्यालय	प्राधिकृत अधिकारी
1.	शैक्षणिक संस्थान	शैक्षणिक संस्थान के कुलपति अथवा निदेशक अथवा प्रधानाध्यापक अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति
2.	श्रम संसाधन विभाग	सहायक श्रमायुक्त एवं उनसे वरीय सभी पदाधिकारी
3.	खाद्य संरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग	राज्य खाद्य संरक्षा एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन में उपनिरीक्षक रैंक एवं उनसे वरीय सभी पदाधिकारी
4.	शिक्षा विभाग	शिक्षा विभाग के प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) या ऊपर के रैंक के सभी पदाधिकारी
5.	पुलिस	पुलिस उपनिरीक्षक अथवा ऊपर के रैंक के सभी पुलिस अधिकारी
6.	नगर निकाय	नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद्/नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी
7.	पंचायती राज संस्थान	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, मुखिया, सरपंच एवं पंचायत सचिव
8.	जिला स्वास्थ्य समिति (DHS)	जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं वित्त प्रबंधक
9.	स्वास्थ्य विभाग	निदेशक प्रमुख, सभी स्वास्थ्य निदेशक एवं उप निदेशक, जिले के सिविल सर्जन अथवा मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला अस्पताल के अधीक्षक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.) के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
10.	विकास प्रखण्ड	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (BDO), अंचल अधिकारी (CO) प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी (BEO)
11.	राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम	राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य एवं जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग के नोडल पदाधिकारी

ध्यान रखें कि:–

- ✓ तम्बाकू उत्पादों की बिक्री नाबालिगों को एवं उनके द्वारा नहीं की जाए।
- ✓ शैक्षणिक संस्थानों के आस–पास 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की दुकान नहीं हो।
- ✓ बच्चों को तम्बाकू उत्पाद के मुफ्त नमूने नहीं बाँटे जाएं।
- ✓ तम्बाकू उत्पादों को इस तरीके से प्रदर्शित नहीं किया जाए, जिससे अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तम्बाकू उत्पाद सहजता से उपलब्ध हो।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (COTPA 2003)

चालान/अर्थदण्ड रसीद

..... विभाग द्वारा लागू किया गया

बुक नं. ..... जिला .....

क्रमांक ..... दिनांक .....

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (COTPA 2003) की धारा 4/6 के उल्लंघन की तिथि ..... स्थान ..... पर करते हुए पाये जाने के उपरान्त श्री/श्रीमती/सुश्री .....

पिता/पति का नाम ..... पता .....

..... से

रु0 ..... शब्दों में .....

..... अर्थदण्ड स्वरूप प्राप्त किया।

उल्लंघनकर्त्ता के हस्ताक्षर .....

प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं पदनाम .....

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर .....

नोटः– अर्थदण्ड से प्राप्त राशि को निम्न शीर्ष में अनिवार्य रूप से जमा किया जाना है।
मुख्य शीर्ष–0210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष–04 लोक स्वास्थ्य, लघु शीर्ष–204 दण्ड एवं शुल्क, उपशीर्ष–02 सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 के विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत अर्थदण्ड के माध्यम से संग्रहित राशि।

''जिन्दगी चुनो, तम्बाकू नहीं''

तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान हेतु शपथ-पत्र

मैं (नाम) ..... शपथ लेता/लेती हूँ कि मैं अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद का सेवन नहीं करूंगा/करूंगी। मैं अपने परिजनों, मित्रों या परिचितों को भी तम्बाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा/करूंगी।

मैं शपथ लेता/लेती हूँ कि मैं पर्यावरण की रक्षा हेतु तम्बाकू उत्पादों के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाने में पूर्ण सहयोग करूंगा/करूंगी।

मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता/लेती हूँ कि मैं जीवन–पर्यन्त तम्बाकू का सेवन नहीं करुंगा/करुंगी। साथ ही मैं दूसरों को भी तम्बाकू सेवन से होने वाले खतरों के बारे में जागरुक करने एवं तम्बाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करने का वचन देता/देती हूँ।

मैं यह शपथ लेता/लेती हूँ कि मैं अपने शिक्षण संस्थान एवं कार्यस्थल को तम्बाकू–मुक्त करने के लिए अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं का प्रयोग करुंगा/करुंगी। साथ ही अपने समाज को तम्बाकू मुक्त बनाने में अपना सम्पूर्ण योगदान दूंगा/दूंगी।

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पदनाम .....

तिथि .....

जिन्दगी चुनें - तम्बाकू नहीं

तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान

स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र

शिक्षण संस्थान का नाम .....

शिक्षण संस्थान का पता .....

मैं (प्रधानाध्यापक का नाम) .....

.प्रमाणित करता हूँ कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा 2003 की धारा – 6B का उपरोक्त शिक्षण संस्थान में पूर्णरूप से अनुपालन किया गया है। तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (ToFEI) के दिशा–निर्देशों के अनुरूप निर्दिष्ट संकेत बोर्ड/दीवार लेखन प्रदर्शित किया गया है। साथ ही, जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से छात्र/छात्राओं को तम्बाकू–सेवन से होने वाले दुष्परिणामों एवं तम्बाकू छोड़ने के फायदे से अवगत कराया गया है। छात्र/छात्राओं के साथ–साथ शिक्षण संस्थान में कार्यरत सभी शिक्षकगण/कर्मचारियों को तम्बाकू सेवन नहीं करने की शपथ दिलायी गई।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्रगण के द्वारा शिक्षण संस्थान परिसर को पीली लाइन (Yellow Line) कैम्पेन के माध्यम से **''तंबाकू मुक्त संस्थान''** घोषित किया जाता है।

अगर कोई व्यक्ति / दुकानदार शिक्षण संस्थान परिसर के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद का सेवन करता या बेचता हुआ पकड़ा जायेगा तो उसके खिलाफ तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा 2003) की विभिन्न धाराओं सहित किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 77 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

दिनांक : .....

प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर
शिक्षण संस्थान का मुहर

राजेश कुमार शर्मा, भा.प्र.से.
सरकार के सचिव

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
झारखण्ड सरकार

पत्रांक–____/माध्यमिक

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक– [illegible] 2022

विषय– छात्रों को तम्बाकू सेवन के दुष्परिणामों से बचाने हेतु सभी शैक्षणिक संस्थानों (सरकारी एवं गैर सरकारी) में Tobacco Free Educational Institutions (ToFEI) के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में।

महाशय / महाशया,

[illegible] Tobacco Free Educational Institutions (ToFEI) [illegible] ToFEI [illegible]

[illegible]

[illegible] ToFEI [illegible] (ToFEI Guideline) [illegible]

ग्राउंड फ्लोर, एम.डी.आई. बिल्डिंग, धुर्वा, राँची, झारखण्ड-834004
ई-मेल: edu.jharkhand@gov.in, hrdjharkhand@gmail.com
फोन: 0651-2400797 (O)

अतः अनुरोध है कि ToFEI गाइडलाइन्स में वर्णित सभी निर्देशों/गतिविधियों को जिला अन्तर्गत सभी शैक्षणिक संस्थानों (सरकारी/गैर-सरकारी) में क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

संलग्न— यथोपरि।

ह०/—

(राजेश कुमार शर्मा)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 120/स्वा० कोष पटना / दिनांक 24/6/2022

प्रतिलिपि 1. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कोषांग / माननीय शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव/झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

2. अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

3. निदेशक, प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से इसका अनुश्रवण करेंगे।

4. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने जिले में ToFEI गाइडलाइन्स में वर्णित सभी निर्देशों/गतिविधियों का सभी शैक्षणिक संस्थानों (सरकारी/गैर-सरकारी) में क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करेंगे तथा मासिक बैठक कर इसकी समीक्षा कर कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएँगे।

5. कार्यपालक निदेशक, सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी (सीड्स), [illegible] को सूचनार्थ एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

मीडिया की नज़रों में......

दैनिक जागरण

हिन्दुस्तान

THE EMERGING WORLD

संथाल हूल एक्सप्रेस

दैनिक भास्कर

खबर मन्त्र

THE AVENUE MAIL

प्रभात खबर

सन्मार्ग

The Telegraph

तंबाकू उत्पादों से दूर रहें विद्यार्थी

युवाओं को नशे की लत से बचाना जरूरी

हम में है दम

तम्बाकू को ना कहें हम

क्या आप तम्बाकू /धूम्रपान की आदत से परेशान हैं ?

क्या आप इस लत को छोड़ना चाहते हैं ?

अगर ऐसा है तो कृपया सम्पर्क करें:-

Tobacco Cessation Centre
(तम्बाकू विमुक्ति केन्द्र)

सभी जिला अस्पताल

अथवा

दूरभाष नं: 1800112356 (TOLL FREE) या 011-22901701 पर मिस्ड कॉल करें

अथवा

http://www.nhp.gov.in/quit-tobacco/registration पर पंजकृत कर तम्बाकू / धूम्रपान से मुक्ति की सुविधा का लाभ उठायें।

तम्बाकू मुक्त भविष्य के लिए युवाओं को आगे आना होगा